

**न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा**  
पी0ए0 केश नं0- 03/23-24  
**अनिता कुमारी टुडू बनाम् रैयान मौजा-लिट्ठी**  
-: आदेश :-

05.12.2023

वर्तमान वाद आवेदिका अनिता कुमारी टुडू, पति-स्व0 निलांबर मुर्मू, सा0-लिट्ठी, थाना-राजामीठा, अंचल-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा के आवेदन पर संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा- लिट्ठी नं0-13 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभ किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।


आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।


अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक-260/रा0, दिनांक-12.04.2023 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि पूर्व प्रधान स्व0 निलांबर मुर्मू की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उक्त प्रधानी पद रिक्त है। आवेदिका पूर्व प्रधान की पत्नी हैं। उक्त के आलोक में संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-06 के तहत आवेदिका अनिता कुमारी टुडू को रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है।

आवेदिका के आवेदन के विरुद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयत से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-लिट्ठी नं0-13 का प्रधान आवेदिका अनिता कुमारी टुडू को नियुक्त किया जाता है।

अतः नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि उक्त मौजा का वार्षिक खजाना कोषागार में जमाकर घालान की प्रति के साथ संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

Scanned  
19-12-2023  
P. H. K. K. K.